# फर्द अहकाम

यालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

रामकलाश बनाम चाकसू

दमा संख्या /वर्ष : 218/2022

| क्र. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 5/8/2024 | [illegible] दिनांक 30/4/2024 | रामकलाश<br>[illegible]<br>पवन सिंह<br>सुमन कँवर<br>सुमन<br>हम उक्त प्रकरण नहीं चलाना चाहते है<br>रामकलाश<br>11/5/24 |
| | 30/4/24 | पत्रावली आज वकील वादी श्री सुरेश कुमार शर्मा द्वारा विड्रो प्रा. पत्र पेश करने पर तलब की गई। वकील वादी विड्रो प्रा. पत्र मय शपथ-पत्र के पेश किया। वादीगणों ने स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किए। वकील वादी ने विड्रो प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीगण दावे को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा अब कोई वाद कारण शेष नहीं है अतः विड्रो प्रा. पत्र स्वीकार होने पर दावा विड्रो (खारिज) किया जाता है। पत्रावली वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>उपखण्ड, चाकसू (जयपुर) | |